

Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

राजवीर सिंह

बनाम

मनजीत कौर आदि

किस्म मुकदमा:-अपील अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या :- 40/2020

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हए

20.04.2021

आज यह पत्रावली अपीलांट द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी अपील में अपीलांट आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है तथा अपनी अपील विद्धो करना चाहता है। अतः अपीलांट को अपील विद्धो करने की अनुमति प्रदान करे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील आगे नहीं चलाने हेतु निवेदन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अपीलांट स्वीकार किया किया जाकर अपील अपीलांट विद्धो की जाने की अनुमति दी जाती है एवं अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है, तथा आदेशिका दिनांक 20.08.2020 द्वारा प्रश्नगत भूमि वाके चक 3 के तहसील अनूपगढ के मुरब्बा न. 24 पत्थर न. 198/50 के किला न. 1 ता 19 में 4.807 है०, मुरब्बा न. 23 पत्थर न. 198/58 के किला न. 1 ता 23 में 3.555 है० इस प्रकार दोनो मुरब्बो में कुल 8.362 है० यानि 33.01 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला के 1/2 हिस्सा को रहन बैय न करने एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने बाबत जारी स्थगन आदेश अपास्त किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील तरतीब दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ० हरीतिमा)

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर